

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- 1121 / VIII / 18-147(श्रम) / 2001

देहरादून, दिनांक: 24 अगस्त, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1936) की धारा 15 की उपधारा (1) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस संदर्भ में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 2313(2)/VIII/13-123(श्रम)/2001, दिनांक 24.01.2013 को विखण्डित करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 उल्लिखित 'अधिकारियों' को अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित क्षेत्रों के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु 'प्राधिकारी' नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र.सं. (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्राधिकारिता (3)
1	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड	सगरत उत्तराखण्ड राज्य
2	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात सगरत अपर/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त तथा ऐसे सहायक श्रमायुक्त जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	सगरत उत्तराखण्ड राज्य
3	उप श्रमायुक्त, देहरादून	जिला देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी
4	उप श्रमायुक्त, हरिद्वार	जिला हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल
5	उप श्रमायुक्त, हल्द्वानी	जिला नैनीताल, अल्मोड़ा एवं वागेश्वर
6	उप श्रमायुक्त, ऊधमसिंह नगर	जिला ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़
7	उप श्रमायुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात ऐसे सहायक श्रमायुक्त जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला नैनीताल
8	उप श्रमायुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात ऐसे सहायक श्रमायुक्त जिनके द्वारा सहायक श्रम आयुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला ऊधमसिंह नगर
9	उप श्रमायुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात ऐसे सहायक श्रमायुक्त जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला देहरादून एवं उत्तरकाशी
10	उप श्रमायुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात ऐसे सहायक श्रमायुक्त जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला हरिद्वार
11	सहायक श्रमायुक्त, अल्मोड़ा जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला अल्मोड़ा एवं वागेश्वर
12	सहायक श्रमायुक्त पिथौरागढ़ जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला पिथौरागढ़ एवं चम्पावत
13	सहायक श्रमायुक्त, ऋषिकेश जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला टिहरी गढ़वाल एवं तहरील ऋषिकेश
14	सहायक श्रमायुक्त कोटद्वार जिनके द्वारा सहायक श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है।	जिला पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या:- 1121 / VIII / 18-147(श्रम) / 2001, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
5. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस.एस.वल्दिया)

अपर सचिव।

~
५